(05)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना

पत्रांक 588 / **अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना** दिनांक 07.05.22/

बिहार सरकार उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सौजन्य से स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए संस्थान परिसर में दिनांक 07.06.2022 से 13.06.2022 तक समर कैम्प का आयोजन किया जाना है । इस आयोजन हेतु लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों /इभेंट मैनेजर से दिनांक 25.05.2022 को 1.00 बजे अपराह्न तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में निविदा प्राप्त की जायेगी। जिसे उसी दिन 2.00 बजे अप0 में सभी निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। आयोजन से संबंधित कार्य विवरणी, मंच एवं डिजाईन इत्यादि की जानकारी संस्थान के कार्यालय अवधि में निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के बेबसाईट www.umsas.org.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें:–

1. निविदादाता की इकाई श्रम एवं नियोजन विभाग से निबंधित होनी चाहिए (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति)।
2. इस प्रकार के आयोजन के लिए दो वर्षों का राजकीय मेला/प्रदर्शनी के कार्य का अनुभव (प्रमाण–पत्र सहित)।
3. जी0एस0टी0 निबंधन एवं अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2020–21) की छायाप्रति।
4. निविदादाता का विगत दो वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर न्यूनतम पचास लाख रूपया होना चाहिए (संबंधित चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित)
5. निविदा के साथ सुरक्षित राशि के रूप में 20,000/– (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट देना होगा जो निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के नाम देय होगा। बैंक ड्रॉफ्ट तकनीकी निविदा के साथ देना होगा। इसके साथ ही रूपये 5,000.00 (पाँच हजार रू0) का डी0डी0 निविदा शुल्क के रूप में अलग से जमा करना होगा। यह राशि अप्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा।
6. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में देनी होगी। लिफाफे के ऊपर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग अंकित करना होगा तथा फिर दोनों को एक तीसरे लिफाफें में सील बंदकर जमा करना होगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
7. किसी भी प्रतिष्ठान को उनके द्वारा किए गए कार्यो के विरूद्ध कुल देय राशि का भुगतान कार्य समाप्ति के बाद ही किया जाएगा।
8. प्रस्तावित आयोजन की तिथि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, संस्थान को सुरक्षित रहेगा ।
10. कार्य विवरणी या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना अथवा इसके दूरभाष सं0–**0612–2262482** पर सम्पर्क किया जा सकता है।
11. त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. किसी भी प्रकार के कर का भुगतान सफल निविदादाता को करना होगा ।
13. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि उनका फर्म काली सूची में शामिल नहीं है।
14. वित्तीय निविदा संस्थान द्वारा बेवसाइट पर अपलोडेड कार्य विवरणी के प्रारूप में देना होगा। वित्तीय निविदा में अंकित दर पूर्णांक एवं स्पष्ट होना आवश्यक होगा। अस्पष्ट एवं भिन्नांक में अंकित दर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक 7/5
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।
07.05.22

Praveen/Letter B-531